...जारी हुए

09.06.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अनु. प्रा०पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से फैसल हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/576

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 244/2024(Cases-2024/576) दायर दिनांक : 20.09.2024

इन्द्राज पुत्र रूघाराम जाति नायक साकिन 10 आर.डी. हाल जमीतेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) —प्रार्थी

बनाम

1. रूघाराम पुत्र चुन्नीराम
2. दलीप पुत्र रूघाराम

अकवाम नायक साकिनान 10 आर.डी. हाल जमीतेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. लिछमा पुत्री रूघाराम पत्नी सुरजाराम (फौत)
   - 3/1. सतपाल पुत्र लिछमा पुत्री रूघाराम
   - 3/2. सन्दीप पुत्र लिछमा पुत्री रूघाराम
   - 3/3. महेन्द्र पुत्र लिछमा पुत्री रूघाराम
   - 3/4. गायत्री पुत्री लिछमा पुत्री रूघाराम

   अकवाम नायक साकिनान ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. रामेश्वरी पुत्री रूघाराम पत्नी नन्दराम (फौत)
   - 4/1. सन्जु पुत्र रामेश्वरी पुत्री रूघाराम
   - 4/2. कबीरदास पुत्र रामेश्वरी पुत्री रूघाराम
   - 4/3. सुमन पुत्री रामेश्वरी पुत्री रूघाराम
   - 4/4. कविता पुत्री रामेश्वरी पुत्री रूघाराम

   अकवाम नायक साकिनान ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. उप–पंजीयक, सूरतगढ़
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री धनवीर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अप्रार्थीगण सं. 1 से 4/4
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 09.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मय

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 आपस में सगे भाई–बहिन हैं एवं अप्रार्थी सं. 1, प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के पिता हैं। प्रार्थी के दादा चुन्नी पुत्र जवाहरा के नाम से वाके चक 7 डी.डब्ल्यू. एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2042 के खाता सं. 36 के पत्थर नं. 155/39 (37) के किला नं. 7–8, 13 से 18, 21, 22–23 में कुल 10.18 बीघा कमाण्ड भूमि भूमिहीन श्रेणी में आवंटन थी। प्रार्थी के दादा के स्वर्गवास उपरान्त उक्त भूमि में से 1.380 है0 भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 रूघाराम पुत्र चुन्नीराम को विरासत प्राप्त हुई, जो वर्तमान में चक 7 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 67/47 के पत्थर नं. 155/39 (37) के किला नं. 7/0.253 है0, 14 से 17/1.012 है0, 18/1 में 0.115 है0 = 1.380 है0 कमाण्ड खातेदारी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 4, कुल चार जायज वारिसान हैं। प्रार्थी की बहिनों का विवाह प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 ने आपसी सहयोग से अपने सामर्थ्य अनुसार दान–दहेज कर दिया और वे अपने ससुराल में खुश व आबाद हैं। पैतृक सहदायी सम्पत्ति होने के कारण जैरप्रार्थना–पत्र भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी की बहिनें अप्रार्थीगण सं. 3–4 अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, इसलिए प्रार्थी की बहिनों ने अपने–अपने हिस्सा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1–2 को बहिस्सा बराबर दे रखी है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त सहदायी सम्पत्ति का आपसी सहमति व रजामन्दी से बंटवारा कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 को उक्त भूमि में से 1/3–1/3 हिस्सा का कब्जा प्रत्येक को मौका पर दे दिया, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1–2 शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। जैरप्रार्थना–पत्र भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित है और अब अप्रार्थी सं. 1 के मन में बदयान्ति आने के कारण उक्त भूमि को बेचान कर प्रार्थी को उसके हिस्सा से वंचित करने पर उतारू है। अप्रार्थी सं. 1 भूमि [illegible] बेचान करने व प्रार्थी को जबरिया बेदखल करने की धमकियां दे रहा है इसलिए प्रार्थी ने अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद निर्णय से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 ने जैरप्रार्थना–पत्र

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व वाद–पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनता है व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वो दावा के निर्णय तक जैरप्रार्थना–पत्र भूमि वाके चक 7 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 67/47 के पत्थर नं. 155/39 (37) के किला नं. 7/0.253 है0, 14 से 17/1.012 है0, 18/1 में 0.115 है0 = 1.380 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे एवं रकबा रहन–बेचान ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को इकतरफा सुना जाकर प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए दिनांक 20.09.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी सं. 1 को वाके चक 7 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 67/47 के पत्थर नं. 155/39 (37) की 1.380 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि को आगामी आदेश तक रहन–बैय नहीं करने व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी ना तो स्वयं करने व ना ही किसी अन्य से कराने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्राप्त किया। तत्पश्चात् बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2042 चक 7 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 36 में अंकित पत्थर नं. 155/39 (37) के किला नं. 7–8, 13 से 18, 21, 22–23 में कुल 10.18 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थी के दादा चुनी वल्द जवाहरा के नाम भूमिहीन श्रेणी में रूप में आवंटित दर्ज राजस्व रिकॉर्ड से साबित है, उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि में से चक 7 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 67/47 के पत्थर नं. 155/39 (37) के किला नं. 7/0.253 है0, 14 से 17/1.012 है0, 18/1 में 0.115 है0 = 1.380 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि विरासतन उनके पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

यानि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई। उक्त सम्पत्ति हिन्दू सहदायी परिवार की सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी की बहिनें अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, इसलिए अपने हिस्सा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1–2 को दे रखी है। अप्रार्थी सं. 1 के मन में बदयान्ति आने के कारण वो जैरप्रार्थना–पत्र भूमि अपने नाम अंकित होने का फायदा उठाकर बेचान करने व प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने पर उतारू है। प्रार्थी ने अपने हिस्सा की भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने स्पष्ट इन्कार दिया, इसलिए प्रार्थी ने अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। भूमि हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार विवाद प्रस्तुत होने पर विवादित सम्पत्ति की वाद प्रस्तुति के दिनांक की स्थिति कानून व न्याय निर्णय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार वाद निर्णय तक बनाई रखी जानी उचित है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध दिनांक 20.09.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक बढ़ाये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी पुत्रियों का विवाह स्वयं किया है, प्रार्थी का इसमें कोई सहयोग नहीं रहा। कानूनन विरासतन प्राप्तशुदा भूमि में पुत्रियों का पुत्रों के समान बराबर का हक बनता है, जिसे वे पाने की हकदार हैं। भूमि का बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है। प्रार्थी का जैरप्रार्थना–पत्र विरासतन प्राप्तशुदा भूमि में 1/5 हिस्सा बनता है, जो उसे दी जा चुकी है, इससे अधिक वो भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अध्ययन व मनन करने के उपरान्त पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होता है कि जैरप्रार्थना–पत्र भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरासतन प्राप्तशुदा है व अप्रार्थीगण ने भी इसे स्वीकार करते हुए प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उसके 1/5 हिस्सा की भूमि दिया जाना स्वीकार किया है। प्रार्थी के हकों का निर्णय वाद में होना है व जैरप्रार्थना–पत्र भूमि में से अपने सम्भावित 1/5 हिस्सा को सुरक्षित करवाने का क़ानूनन हकदार है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनता है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थनां–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर, पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2024 को निरस्त करते हुए, अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वाके चक 7 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 67/47 के पत्थर नं. 155/39 (37) के किला नं. 7/0.253 है0, 14 से 17/1.012 है0, 18/1 में 0.115 है0 = 1.380 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि को वाद निर्णय तक रहन व बेचान नहीं करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 09.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.13 12:22:41 IST
Reason: SelfAttested